



कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांक: 5B/Budget- D/A/04(2015-16) .. 2150

दिनांक: 25/6/15

प्रेषक: बी०सी० निगम, भा०व०से०,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक,
झारखण्ड, राँची।

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर-योजना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या-19, मुख्य शीर्ष-2406-वार्निकी तथा वन्य प्राणी के अधीन "01- निदेशन एवं प्रशासन", उपशीर्ष में राशि के आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-29/ बी०टी०ई०-18/2014-15 /300/बजट राँची, दिनांक 30.03.2015 एवं वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-7/यो०ब०-24/2015-2026 व०प०, राँची, दिनांक 17.04.2015, आपका कार्यालय पत्रांक 758, दिनांक 23.06.2015 एवं पत्रांक 760, दिनांक 23.06.2015।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के आलोक में "01-निदेशन एवं प्रशासन" उपशीर्ष के 23-आपूर्ति एवं सामग्री इकाई में रु० 2,43,500/- एवं 51-मुआवजा इकाई में 4,95,800/- यानि कुल रु० 7,39,300/- की अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

1. यह आवंटन वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार राँची के पत्रांक-29/ बी०टी०ई०-18/2014-15 /300/बजट राँची, दिनांक 30.03.2015 एवं वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-7/यो०ब०-24/2015-2026 व०प०, राँची, दिनांक 17.04.2015 तथा बिहार सरकार, वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या-एम०-4-05/98 2561/वि० (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जाता है।
2. रोकड़ प्रवाह (कैश फ्लो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त 4-23/2003/ 1800 दिनांक 15.07.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।
4. "51-मुआवजा" इकाई में आवंटित राशि आपके कार्यालय पत्रांक 760, दिनांक 23.06.2015 के आलोक में है।
5. आपके कार्यालय पत्रांक 758, दिनांक 23.06.2015 के साथ संलग्न सूची में उल्लेखित कार्य विवरणी में से इस पत्र के साथ संलग्न कार्य विवरणी (अनु०-1) हेतु "23-आपूर्ति एवं सामग्री" इकाई में 2,43,500/- रु० की आवंटन दी जाती है।
6. राशि का व्यय वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के आलोक में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

आवंटन आदेश पत्र संख्या- BWLDA/01-15-16/30B की मूल प्रति अत्र-सह-संलग्न है।

अनु०-यथोः

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

PCCF, JHARKHAND

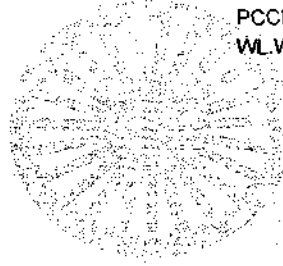
वर्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु निर्धारित दरों पर बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

त्र संख्या - BWLDA/01-15-16/30B

दिनांक - 25-Jun

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	N 19 240601001010323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 001 . निदेशन तथा प्रशासन 01 . निदेशन एवं प्रशासन 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	45055	DRNFWL076 PRADEEP KUMAR .IFS. PCCF.WILD LIFE & WL.WARDEN JHA	243,500.00 रुपये दो लाख तीरयालीस हजार पाँच सैं

2	N 19 240601001010651 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 001 . निदेशन तथा प्रशासन 01 . निदेशन एवं प्रशासन 06 . अनुदान 51 . मुआवजा	45056	DRNFWL076 PRADEEP KUMAR .IFS. PCCF.WILD LIFE & WL.WARDEN JHA	495,800.00 रुपये चार लाख पिन्यानवे हजार आठ सैं
---	---	-------	---	---



739,300.00

योग:

हमिक योग:

रुपये सात लाख उनचासी हजार तीन सैं

(B. C. NIGAM)

PCCF, JHARKHAND, RANCHI

145

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, रांची एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, झारखंड, रांची आदि कार्यालय हेतु फर्नीचर एवं अन्य सामग्री की आवश्यकता से संबंधित वित्तीय वर्ष 2015-16 का कार्य विवरणी।
इकाई का नाम- "23-आपूर्ति एवं सामग्री"

क्र० सं०	कार्य विवरणी	(राशि रु० में)
1	2	3
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, रांची के कार्यालय एवं मुख्य वन संरक्षक अराजपत्रित के कार्यालय में फाईल रखने हेतु अलमीरा का कय। 3000mmx1650mmx425mm (LxWxD) with side top bottom panels and shalves or model of prime quality. 8 nos @ 13500 each	108000.00
2	मुख्य वन संरक्षक अराजपत्रित के कार्यालय हेतु टेबल का कय 1500x650x750, 02 nos @ Rs. 22300 each	44600.00
3	मुख्य वन संरक्षक अराजपत्रित के कार्यालय हेतु कुर्सी का कय 04 nos @ Rs 10200 each	40800.00
4	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन के चैम्बर में फाईल रखने हेतु केबिनेट का कय	19000.00
5	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, रांची मुख्य वन संरक्षक, अराजपत्रित एवं बिजली मिस्त्री के कार्य करने हेतु अल्युमिनियम फोल्डिंग सीढ़ी का कय 2 nos @ Rs. 8000.00 each	16000.00
6	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, रांची के कार्यालय में ए०सी० हेतु एक स्टेबलाइजर का कय।	5000.00
7	मुख्य वन संरक्षक, अराजपत्रित के कार्यालय में 3 सिलिंग पंखा, 7 सी०एफ०एल० बल्ब, बोर्ड वायरिंग इत्यादि का कार्य	10000.00
कुल राशि:-		243400.00

यानि 2.435 लाख रु०

Mr. A/L
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड

0/c